

11/5/18

पञ्जावली पेय हुई। वकील उमर पत्र उपा  
साह्य वादी उपास्थित नहीं। दो अवसर पर  
झे दिये जा चुके हैं। वकील वादीगण साह्य  
वादी हेतु एक अवसर छोड़ पाए हैं। न्याय  
दिए में साह्य वादी हेतु दोस्तिक अवसर  
दिया हुआ है। पञ्जावली दिनांक 15/5/18  
को पेय हो।

9/5/18

पञ्जावली आज न्याय आपने द्वारा थिक्किर 2018  
में केस एंटा में पेय हुई। पञ्जावली द्वारा  
राजीनामा पेय नहीं करके के काख पञ्जावली  
गलादेश की पालन में विपत दिनांक 15/5/18 को  
पेय हो।

पीतासीन अधिकारी राज्यकार्य/अवकाश पर  
रहने /राज्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण  
आज 15/5/18 तारीख पेश जरिए न  
दिनांक 3/5/18

3/5/18

पञ्जावली पेय हुई। वकील उमर पत्र उपा  
साह्य वादी उपास्थित नहीं। पञ्जावली  
वादी हेतु दिनांक 4/5/18 को पेय हो।

04/5/2018

पञ्जावली पेय हुई। वकील उमर पत्र  
उपा०। साह्य वादी उपास्थित नहीं। साह्य  
वादी को अंतिम अवसर दिये जाने के  
उपरांत भी साह्य पुस्तक नहीं लिये।  
अतः वादीगण द्वारा अपने समर्थन में  
कोई मौखिक साह्य पुस्तक नहीं लिये  
है। जिससे वादीगण का वाड पत्र आगे

शु.नं. 119/2010 द.प.

कारिका ~~बनाम~~ रामधन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
	<p>चलाया जा सके। अतः वादीगण का वाड पर मौखिक साक्ष्य के अभाव में स्वार्जित किया जाता है। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाड तकमिल दाखिल दफ्तर है।</p>	

महाराष्ट्र न्यायपालिका  
जिला न्यायालय  
मुंबई